न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/210/2015 वाद — दायर दिनांक 26.08.2015

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीनारायण बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
2. किशनलाल पिता लक्ष्मीनारायण बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
3. श्यामुड़ी पुत्री लक्ष्मीनारायण बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
4. अनिता देवी पत्नी श्यामसुन्दर बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।

बनाम

1. नन्दकिशोर पिता रामेश्वरलाल बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
2. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चितौडगढ (राज)।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह जादव —वादीगण

एकतरफा —प्रतिवादी

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 15.12.2022

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वाके मौजा कपासन, पटवार हल्का कपासन, तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 2834 रकबा 0.05 हैक्टयर किस्म चाही 2, लगानी 1.40 पैसा, आराजी नम्बर 2835 रकबा 0.03 हैक्टयर, किस्म चाही 2, लगानी 0.84 पैसा, आराजी नम्बर 2837 रकबा 0.26 हैक्टयर किस्म चाही 2, लगानी 7.28 पैसा, आराजी नम्बर 2838 रकबा 0.30 हैक्टयर किस्म चाही 2, लगानी 8.40 पैसा, आराजी नम्बर 2840 रकबा 0.01 हैक्टयर किस्म बीड 1, लगानी 0.03 पैसा, आराजी नम्बर 2841 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म चाही 2, लगानी 1.12 पैसा, आराजी नम्बर 3060 रकबा 0.10 हैक्टयर, किस्म चाही 2, लगानी 2.80 पैसा, आराजी नम्बर 3061 रकबा 0.09 हैक्टयर, किस्म नहरी 1, लगानी 2.07 पैसा, आराजी नम्बर 3062 रकबा 0.10 हैक्टयर, किस्म बीड 1, लगानी 0.30 पैसा, आराजी नम्बर 3063 रकबा 0.13 हैक्टयर, किस्म बीड 1, लगानी 0.39 पैसा, आराजी नम्बर 4082 रकबा 0.16 हैक्टयर, किस्म बारानी 1, लगानी 1.44 पैसा, आराजी नम्बर 4083 रकबा 0.14 हैक्टयर किस्म बारानी 1, लगानी 1.26 पैसा, कुल किता 12 कुल रकबा 1.41 हैक्टयर कुल लगानी 27[illegible] दर्ज राजस्व रेकार्ड है, जिसमें हम वादीगण संख्या 1 से 3 का 3/8 हक हिस्सा एवं [illegible] का 1/8 हक हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:53 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उपरोक्त आराजीयात हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी [illegible] कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की होकर मौखिक विभाजन आसरे अनुसार कर काश्त करते आ रहे है । विधिक

रूप से बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस आराजीयात का विधिक रूप विभाजन नही करा रखा है। इस कारण लगान जमा कराने, फसल काश्त करने, लोन लेने इत्यादि में समस्या रहती है तथा भूमि कम ज्यादा होने का विवाद बना रहता है। आये दिन भूमि के कम ज्यादा होने बाबत् लड़ाई झगड़ा होने का डर रहता है। इस कारण उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयात का विधिक रूप से विभाजन करा वादीगण को उपरोक्त हक हिस्से हक हिस्से अनुसार अलग–अलग खाते दर्ज कराया जाना आवश्यक है तथा लगान बंदी भी अलग दर्ज कराई जाकर स्वतन्त्र खातेदार दर्ज कराया जाना आवश्यक है। इस कारण पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित हक हिस्से अनुसार बंटवाडा आराजीयात की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 20.08.2015 को विवादित भूमि को न्यायालय चलकर विभाजन कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 नहीं माना इस कारण वाद हेतुक कारण दिनांक 20.08.2015 को पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि–

– पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा आराजीयात की डिक्री इस आशय की फरमाई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादगत आराजीयात का विधिक रूप से हक हिस्से के अनुसार विभाजन करा हम वादीगण संख्या 1 से 3 का 3/8 हक हिस्सा एवं वादी संख्या 4 का 1/8 हक हिस्सा अलग करा, तदनुसार लगान जमाबन्दी अलग कायम करा, अलग खातेदार बनाया जावें। अन्य कोई दाद जो मुफिद वादीगण हो प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाई जावें। हर्जा खर्चा वकील मेहनताना प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे ।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। उक्त वाद पत्र में दिनांक 13.07.2017 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा दिनांक 18.01.2018 को बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दिनांक 18.08.2021 से वकील प्रतिवादी द्वारा बटवाडा रिपोर्ट पर बहस हेतु अवसर चाहा जा रहा है। परन्तु न तो कोई आपत्ति प्रस्तुत की न ही आज दिनांक को हाजिर हुए, जिससे एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अतः वकील वादीगण की बहस एकतरफा सुनी जाकर आज दिनांक 15.12.2022 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन, पटवार हल्का कपासन, तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी नम्बर 2834 रकबा 0.05 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2835 रकबा 0.03 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2837 रकबा 0.26 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2838 रकबा 0.30 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2840 रकबा 0.01 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2841 रकबा 0.04 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3060 रकबा 0.10 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3061 रकबा 0.09 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3062 रकबा 0.10 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3063 रकबा 0.13 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4082 रकबा 0.16 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4083 रकबा 0.14 हैक्टयर कुल किता 12 कुल रकबा 1.41 हैक्टयर, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 18.01.2018 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. नन्दकिशोर पिता रामेश्वरलाल बारेगामा सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	2838 मी.	0.[illegible]	चाही 2
2	4082	0.16	बारानी 1
3	2834	0.05	चाही 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:53 IST
Reason: SelfAttested

4	2835	0.03	चाही 2
5	3062 मी.	0.08	बीड़ 1
6	3063 मी.	0.11	बीड़ 1
योग	कुल किता–6	0.71	

2. राजेन्द्र कुमार, किशनलाल पिता लक्ष्मीनारायण, श्यामुड़ी पुत्री लक्ष्मीनारायण 3/4 बारेगामा, अनिता देवी पत्नि श्यामसुन्दर बारेगामा 1/4 सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	2837	0.26	चाही 2
2	2838/1	0.02	चाही 2
3	4083	0.14	बारानी 1
4	2841	0.04	चाही 2
5	2840	0.01	बीड़ 1
6	3062/1	0.02	बीड़ 1
7	3063/1	0.02	बीड़ 1
8	3061	0.09	नहरी 1
9	3060	0.10	चाही 2
योग	कुल किता– 9	0.70	

तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:53 IST
Reason: SelfAttested